ई–मेल द्वारा/महत्वपूर्ण।

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
राजस्व अनुभाग–9,
उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।

संख्या– G-192 /4–39एस/85टी0सी0(2) दिनांकः 01 ~~मई~~ जून, 2016

विषय– लेखपाल सम्वर्ग की वेतन विसंगति, वेतन उच्चीकरण, शैक्षिक योग्यता, पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति आदि समस्याओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 781/एक–9–2016–111(ले0सं0)/2014 टी0सी0,दिनांक 18 अप्रैल 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पत्रांक 08/महामंत्री/2016, दिनांक 16–3–16 की प्रति उपलब्ध कराते हुये ए0सी0पी0 विसंगति, वेतनमान उच्चीकरण, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं पदनाम व नियुक्ति प्राधिकारी परिवर्तन, मण्डलीय कैडर व स्थानान्तरण नीति में संशोधन, पदोन्नति व पेंशन आदि समस्याओं पर संस्तुति सहित सुस्पष्ट आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के साथ मा0 अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 03–5–16 को उ0प्र0 लेखपाल सम्वर्ग की समस्याओं के निस्तारण हेतु 06 सूत्रीय मांग पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त की प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रकरण में मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुकम में तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

01.06.16

(जगदीश प्रसाद)
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।